प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 15.04.2026

गाजियाबाद पुलिस का चार पहिया वाहन चोर गिरोह के विरुद्ध सशक्त अभियान

स्वॉट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा की गयी कार्यवाही में बुलन्दशहर, हापुड, मेरठ, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 शातिर सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 कार (स्कार्पियो) बरामद।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले चोरों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) के कुशल नेतृत्व में दिनाँक-14/04/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा द्वारा बुलन्दशहर, हापुड, मेरठ, गाजियाबाद व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र से चार पहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 शातिर सक्रिय सदस्य सद्दीक को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी है, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मोदीनगर से चोरी की गयी 01 स्कोर्पियों, काले रंग की बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध चार पहिया वाहनो की चोरी के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश व दिल्ली राज्यों में कई अभियोग पंजीकृत है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u> गिरफ्तार अभियुक्त सद्दीक ने पूछताछ पर बताया कि साहब यह गाडी करीब 3 महीने पहले उजैर निवासी मेरठ ने मोदीनगर में से अपने साथियों के साथ चुराकर मुझे दी थी, हम लोगों ने इस स्कार्पियो गाडी के चैसिस व इंजन नम्बर ग्रान्डर से हटवा दिये हैं। हरेन्द्र उर्फ हनी गुर्जर निवासी दिल्ली उजैर , मेहराज, फरदीन , आस मोहम्मद उर्फ पप्पू बकरा, समीम उर्फ पिल्ला निवासीगण मेरठ व महताब उर्फ बच्चा निवासी दिल्ली चार पहिया गाडियां चुराने का काम करते है, ये लोग दिल्ली एन.सी.आर क्षेत्र से गाडियां चुराकर मुझे देते है। मैं इन गाडियों को 1- कमलेश निवासी बाडमेर राजस्थान, 2-शोएब निवासी चौका जोधपुर, 3-संजय मिस्त्री निवासी जोधपुर व 4-पप्पू नायक निवासी बिनायका जोधपुर को देता हूं। साहब मेरा व मेरे साथियो का दिल्ली एनसीआर क्षेत्र, अलीगढ, बुलन्दशहर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व अन्य क्षेत्रो से चार पहिया गाडी चोरी व उनकी खरीद फरोख्त करने का एक संगठित गिरोह है। इस गिरोह में (1) मेहराज निवासी डिग्गी मकबरा, मेरठ (2) उजैर पुत्र दिलशाद निवासी पटेल नगर मेरठ (3) फरदीन पुत्र दिलशाद निवासी पटेल नगर मेरठ तथा (4) आस मोहम्मद उर्फ पप्पू बकरा निवासी अहमदनगर दिल्लीगेट मेरठ (5) महताब उर्फ बच्चा पुत्र हफीजुद्दीन निवासी राजीव नगर मण्डोली दिल्ली, (6) समीम उर्फ पिल्ला पुत्र शमशाद निवासी लिसाड़ी मेरठ, (7) हरेन्द्र उर्फ हनी गुर्जर निवासी दिल्ली के अलावा कमलेश निवासी बाडमेर राजस्थान, शोएब निवासी चौका जोधपुर, संजय मिस्त्री निवासी जोधपुर व पप्पू नायक निवासी विनायका जोधपुर भी है, जो मिलकर चार पहिया गाडियों की चोरी करते हैं और उनको मौका मिलने पर आन डिमाण्ड अच्छी कीमत पर बेच देते है और जो मुनाफा होता है उसको बराबर बराबर आपस में बांट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित चौधरी से पूछपाछ पर जानकारी हुई कि अमित चौधरी चोरी की गयी कारों को गिरोह के सदस्यों द्वारा बताये अनुसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व दिल्ली आदि राज्यों मे डिलीवरी करने का काम करता है। जिसके द्वारा पूछताछ पर अभी तक वर्ष 2020 से लगभग 50-60 चोरी की गाडियों को डिलीवरी करना बताया गया है।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त सद्दीक ने यह भी बताया कि हमारा बुलन्दशहर, हापुड, मेरठ, पंजाब , हरियाणा व दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्रो से चार पहिया गाडी चोरी करने व उनकी खरीद फरोख्त करने का एक संगठित गिरोह है। हम लोग पकडे जाने

से बचने के लिये चोरी किये गये चार पहिया वाहनो की नंबर प्लेट उतारकर फेक देते है तथा चोरी की गाडियों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर रखते हैं। हमारे गिरोह के महताब उर्फ बच्चा व शमीम उर्फ पिल्ला स्वाट टीम, क्राईम ब्रान्च द्वारा चोरी की स्विफ्ट कार सहित दिनाँक-18/02/26 को थाना सिहानीगेट गाजियाबाद से जेल भेजे जा चुके है। गिरोह के फरार अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी / बरामदगी के प्रयास किये जा रहे है। उक्त गिरोह में लगभग 10 से 12 सदस्य काम कर रहे है जिनके द्वारा टोयटा, हुण्डई, मारूति व महेन्द्रा ब्राण्ड की गाडियों को विशेष तौर पर चोरी कर घटना को अंजाम दिया जाता है। उक्त गिरोह के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ पर यह भी पता चला है कि फॉर्च्यूनर कार को 04 लाख रूपये मे, स्कॉर्पियो का 03 लाख व हुण्डई व मारूति की कारों को 60-60 हजार रूपये मे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व दिल्ली मे बेचते है। चोरी की गाडियों को बेचने से जो रूपये मिलते है उनको ये लोग आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सद्दीक पुत्र नैनू खान निवासी ग्राम करनू थाना पाचौडी जिला नागौर राजस्थान उम्र करीब 34 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1.स्कार्पियो रजिस्ट्रेशन नम्बर- UP14GE7895 (मोदीनगर से चोरी)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. सद्दीक पुत्र नैनू खान निवासी उपरोक्तः-

1. मु0अ0सं0-40/2026 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना मोदीनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0-31395/2024 धारा 305(बी) बी0एन0एस0 थाना करावल नगर दिल्ली
3. मु0अ0सं0-8154/2025 धारा 305(बी)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना आनन्द विहार दिल्ली
4. मु0अ0सं0-5302/2025 धारा 305(बी)/317(2)/3(5) बी0एन0एस0 थाना साकेत दिल्ली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.स्वॉट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म कराने के अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 03.04.2026 को वादिया द्वारा थाना कौशाम्बी पर लिखित तहरीर दी और बताया कि अभियुक्त अवनीत द्वारा वादिया की पुत्री के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व वादिया की पुत्री के गर्भवती होने के सम्बंध में तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 69 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना से वादिया की पुत्री का नाबालिग (17 वर्ष) होना पाया तथा अभियोग में धारा 64(2) M, 351(2) बीएनएस व 5J(2), 5L/6, 16/17 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्ता लक्ष्मी देवी पत्नी रविश कुमार का नाम प्रकाश में आया। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त व अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे। जिसके क्रम में आज दिनांक 15.04.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्ता लक्ष्मी देवी पत्नी रविश कुमार निवासी वार्ड नम्बर 09 शिव मन्दिर के पास गांव व कस्बा श्रीरामपुर अकबरनगर थाना अकबरनगर जनपद भागलपुर हाल पता भोवापुर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को कौशाम्बी से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया कि मेरी ननद का लडका है जो कि हमारे साथ भोवापुर में रह रहा था तथा मेरे पति के साथ ही रुबरु होटल में काम करता था हमारे कमरे की बराबर वाले कमरे मे पीडिता की मां अपने बच्चो के साथ रहती थी। पीडिता के पिता बीमार रहते है वह लगातार अस्पताल मे एडमिट है और पीडिता की माँ कोठियो मे काम करने जाती है। पीडिता अपने कमरे पर अकेली रहती थी। जिससे पीडिता की मेरी ननद के लडके अवनीत से दोस्ती हो गई थी। अवनीत ने यह बात मुझे बताई थी तब मैं पीडिता की माँ के कोठियो मे काम करने चले जाने पर अवनीत को लेकर पीडिता के कमरे पर चली जाती थी और अवनीत व पीडिता की मुलाकात करवाती थी। मेरे कहने पर अवनीत ने पीडिता के साथ कई बार शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे। जिससे वो गर्भवती हो गयी थी पीडिता की माँ को पीडिता के गर्भवती होने का पता चलने पर पीडिता की मां से अवनीत की शादी पीडिता से कराने का वादा किया था। लेकिन पीडिता की माँ द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर हम भाग गये थे। अवनीत इस समय कहाँ है मुझे नहीं पता।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

- लक्ष्मी देवी पत्नी रविश कुमार निवासी वार्ड नम्बर 09 शिव मन्दिर के पास गांव व कस्बा श्रीरामपुर अकबरनगर थाना अकबरनगर जनपद भागलपुर हाल पता भोवापुर थाना कौशाम्बी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

स्वॉट टीम, अपराध शाखा द्वारा थाना इंदिरापुरम के बिल्डर से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन की बरामदगी के सम्बन्ध में।

दिनांक-11/04/2026 को पुलिस आयुक्त गाजियाबाद को शिकायतकर्ता अर्पित गुप्ता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे शिकायकर्ता से अज्ञात नम्बर से किसी व्यक्ति के द्वारा स्वंय को कुख्यात सुंदर भाटी के गैंग का बताकर 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गयी जिसे ना देने पर शिकायकर्ता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी थी उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच स्वॉट टीम अपराध शाखा के द्वारा संपादित कि गयी जाँच के दौरान तथ्य सही पाये जाने पर दिनांक 14/04/2026 को थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0स0 294 /26 धारा 308(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 15/04/2026 को स्वाट टीम अपराध शाखा व थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा थाना वेव सिटी क्षेत्र से मुखबिर की सूचना व इलैक्ट्रानिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण मे संलिप्त तीन अभियुक्तगण जिसमे एक महिला भी सम्मिलित है, को गिरफ्तार कर घटना मे प्रयुक्त मोबाईल फोन बरामद किया गया है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों में से अभि0 रविन्द्र उर्फ रोबिन पुत्र राजवीर सिंह नि0- वेवसिटी गाजियाबाद ने पूछताछ में बताया कि मैं प्रोपर्टी खरीदने व बेचने का काम करता हुँ। मेरा खुद का वेव सिटी मे आफिस भी है। मैं पिछले करीब 3 वर्ष से अर्पित गुप्ता जो कि एक प्रोपर्टी डीलर है ,को अच्छी तरह से जानता हूँ जिसके साथ मैने प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने का कार्य किया है। अर्पित की कम्पनी का नाम Parit Associates OPC Pvt Ltd. जिसका पता सेक्टर 73 एन्थोरियम बिल्डिग आफिस न0 1512, 1511 नोएड़ा मे है जिसकी साइट सेक्टर 49 नोएडा

में है। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम सविता उर्फ सवी चौधरी पत्नी दिनेश चौधरी नि0 म0न0- 3/352 ग्राउड फ्लोर किंग वुड एनक्लेव सैक्टर-03 वेव सिटी उम्र 44 वर्ष है जो कि वेव सिटी मे ही रहती है और प्रॉपर्टी डीलिंग के मैनेजमेंट का कार्य अच्छी तरह से जानती है। मेरे द्वारा करीब 06 माह पहले सवी चौधरी को रजिस्ट्री कराने के कार्य पर अर्पित गुप्ता के आफिस नोयडा मे कार्य दिलवाया गया था। करीब 10 दिन पहले अर्पित गुप्ता द्वारा सवी चौधरी को नौकरी से निकाल दिया गया था जिसके बाद सवी चौधरी ने मुझसे मुलाकात की और बताया की अर्पित गुप्ता का काम बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल बहुत मोटे पैसे कमा रहा है जिसके बाद मैने और सवी चौधरी ने अर्पित गुप्ता से रंगदारी मांगने की योजना बनाई जिसमे हम दोनो ने यह तय किया कि अर्पित गुप्ता से मोटी रकम उतारनी है जिसके लिए हम दोनो ने कही से एक मोबाईल फोन व एक सिम कार्ड किसी और की आईड़ी पर लेने की योजना बनाई जिस कार्य के लिए मैने अपनी मौसी के लङके तुषार बैसौया पुत्र रविन्द्र निवासी मकान नं0 109 दूतीय तल सेक्टर 04 वेव सिटी से सम्पर्क किया तुषार भी प्रोपर्टी का कार्य करता है जिसका आफिस भी वेव सिटी मे ही है जिसके बाद मेरी मौसी का बेटा तुषार भी हमारे साथ इस योजना मे सम्मलित हो गया जिसके बाद तुषार के द्वारा अपने दोस्त अंश मित्तल के माध्यम से मुझे एक सेकेण्ड हैंड मल्टीमीडिय़ा मोबाईल फोन रेड मी कम्पनी उपलब्ध कराया गया। चूंकि मै पूर्व से ही अर्पित गुप्ता के साथ कार्य कर चुका हूँ तो उसकी सारी जानकारी मेंरे पास थी जिसके बाद हम तीनो ने यह योजना बनाई कि हम लोग अलग अलग जगह पर जाकर व्हाटसअप काल व मैसेज के माध्यम से अर्पित गुप्ता से रंगदारी मांगेगे। योजना के अनुसार दिनांक 10/04/2026 को हम तीनो लोगो द्वारा अर्पित गुप्ता से नोय़डा मे जाकर अर्पित गुप्ता के मोबाईल पर व्हाट्सअप काल करके 10 करोङ रुपये की रंगदारी मांगी गयी व ना देने पर परिणाम से भुगतने व छोटे बच्चे होने का भय दिखाया गया जिसके सम्बन्ध मे मेरे द्वारा मैसेज भी भेजा गया इसके बाद योजना के अनुसार मेरे व मेरे साथियो द्वारा दिनांक 11/04/2026 को पुनः एक अलग जगह पर जाकर अर्पित गुप्ता को उसके मोबाईल पर मेरे द्वारा पुनः उसी रेड मी के फोन से रंगदारी मांगी गयी जिसमे हम लोगो के द्वारा अर्पित गुप्ता को दो दिन का समय दिया गया। अर्पित गुप्ता द्वारा रंगदारी न देने पर फिर से दिनांक 13/04/2026 को नोयडा मे एक अन्य जगह जाकर पुनः व्हाट्सअप काल के द्वारा अर्पित गुप्ता से रंगदारी मांगी गयी। हम लोग अलग अलग जगह जाकर रंगदारी इसलिए मांगते थे ताकि हम लोग पकङे न जा सके। इसी वजह से हम लोगो ने एक मोबाईल फोन व एक सिंम कार्ड का इंतजाम किसी अन्य़ व्यक्ति के नाम पर कराय़ा था। इस घटना को हम तीनो के द्वारा मिलकर अंजाम दिया गया है।

अभियुक्त अभि0 रविन्द्र उर्फ रोबिन को दौराने पूछताछ गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन मय सिम के बरामद हुआ है तथा अन्य अभियुक्ता सबी चौधरी व अभियुक्त तुषार वैसेया को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है। सुन्दर भाटी की भूमिका के सम्बन्ध में जाँच पङताल की जा रही है तथा अंश मित्तल जिसके द्वारा अभियुक्तगणो को मोबाईल फोन उपलब्ध कराया गया है उसकी भूमिका की भी जाँच की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-</u>

1.रविन्द्र उर्फ रोबिन पुत्र राजबीर सिंह निवासी म0न0 1417 ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 2 वेव सिटी मूल पता ग्राम कचैडा थाना दादरी जिला गौतमबुद्दनगर उम्र-39 वर्ष।

2. तुषाऱ बैसौया पुत्र रविन्द्र निवासी मकान नं0 109 दूतीय तल सेक्टर 04 वेव सिटी उम्र 25 वर्ष।

3. सविता उर्फ सवी चौधरी पत्नी दिनेश चौधरी नि0 म0न0- 3/352 ग्राउड फ्लोर किंग वुड एनक्लेव सैक्टर-03 वेव सिटी उम्र 44 वर्ष।

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण-

1 घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन रेडमी कंपनी।

2 अन्य 04 मोबाईल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.स्वॉट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

2.थाना इन्दिरापुरम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

पुरूस्कार- अपर पुलिस आयुक्त, मुख्यालय / अपराध द्वारा टीम के उत्साहवर्धन हेतु 50,000 रुपये के नकद पुरूस्कार की घोषणा की गयी है।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 10.12.25 को थाना खोडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी नाबालिग बेटी के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने छेड़खानी की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोडा पर धारा 74 बीएनएस व 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में पीडिता के वयान, मेडिकल रिपोर्ट आदि अन्य साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि नाबालिग पीडिता के साथ किसी अज्ञात शख्स ने पीडिता को बहला-फुसलाकर वादिया के मकान से थोड़ी दूर ले जाकर दुष्कर्म किया है। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी केमरों आदि से अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया एवं धारा 74 बीएनएस व 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के बजाय धारा 65(2)/137(2)/76 बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट की घटना का होना पाया गया। आज दिनांक 15.04.26 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर सुनील कुमार रस्तोगी पुत्र गुलाब राय रस्तोगी नि0 गोपाल विहार शारदा कालोनी थाना बिलासपुर जनपद रामपुर हाल पता शशि गार्डन नियर सब्जी मण्डी मस्जिद थाना पांडव नगर दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष को गुर्जर गेट के पास से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं जनपद रामपुर का रहने वाला हूं यहाँ अपने परिवार के साथ शशि गार्डन दिल्ली में किराये पर रहता हूं। मेरे 05 बच्चे हैं मेरी पत्नी का देहान्त हो गया है। पत्नी का देहान्त हो जाने के बाद मैं एकदम अकेला सा हो गया था। कुछ मानसिक विकृति का भी शिकार हो गया हुं। जब भी किसी लड़की को देखता हूं तभी मेरे दिमाग में गलत खयालात आते रहते थे। इससे पूर्व में भी एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड के मामले में जेल जा चुका हूं। दिनांक 09.12.25 को मैं शिव पार्क खोड़ा में एक दुकान पर खड़ा हुआ था तभी वहाँ एक लड़की कुछ सामान लेने आयी थी। मैं उसे बहला-फुसलाकर एक बन्द पड़े मकान में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

1. सुनील कुमार रस्तोगी पुत्र गुलाब राय रस्तोगी नि0 गोपाल विहार शारदा कालोनी थाना बिलासपुर जनपद रामपुर हाल पता शशि गार्डन नियर सब्जी मण्डी मस्जिद थाना पांडव नगर दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर उक्त सम्बन्ध में 01 अभियोग व छेडखानी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 14.04.2026 को वादी श्री पवन शर्मा पुत्र रमेश शर्मा नि0 6/5 सै02 राजेन्द्र नगर साहिबाबाद गाजियाबाद द्वारा थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर लिखित तहरीर दी और बताया कि 08.04.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी साइकिल चोरी कर ली है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 15.04.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त अरुण पुत्र राजेन्द्र निवासी म0न0 1 गली न0 1 करदमरपुरी नियर शानि बाजार चौक थाना ज्योति नगर दिल्ली उम्र 22 वर्ष प्रेम गली राजेन्द्र नगर से मय चोरी की 01 साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब यह साईकिल मैंने करीब एक सप्ताह पहले राजेन्द्र नगर सै0 2 गाजियाबाद से चोरी की थी आज मैं इस साईकिल को बेचने जा रहा था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अरुण पुत्र राजेन्द्र निवासी म0न0 1 गली न0 1 करदमरपुरी नियर शानि बाजार चौक थाना ज्योति नगर दिल्ली उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त अरुण उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद में साईकिल चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।